झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–791 वर्ष 2017

मिथिलेश कुमार मिश्रा, जिला बोकारो .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. जिला प्रमाणपत्र अधिकारी, बोकारो
3. शाखा प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, जिला बोकारो .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री आशिम कुमार सहानी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री मो0 शाहिद खान, एस0सी0 (खान)

2 / 14.02.2017 याचिकाकर्ता और बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ रू0 8,31,073.00 की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा जन मांग के संबंध में प्रतिवादी सं0 2, जिला प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष लंबित प्रमाण पत्र संख्या 21 / 2015–2016 का आदेश फलक यह दर्शाता है कि दिनांक 12 सितम्बर, 2015 को सार्वजनिक माँग वसूली अधिनियम, 1914 (अब झारखण्ड) की धारा 7 के तहत नोटिस जारी करने के बाद, अगली तारीख 18 नवम्बर, 2016 को प्रमाण पत्र अधिकारी रिकॉर्ड करता है कि नोटिस की तामीला हो गई है लेकिन प्रमाणपत्र देनदार उपस्थित नहीं हुआ है। यह भी दर्ज करता है कि किसी भी

आपत्ति के अभाव में, मांग की पुष्टि की जाती है। इसके बाद, उसी तारीख को, याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया गया है और बाद की तारीख 19 जनवरी, 2017 को गिरफ्तारी के जमानती वारंट को निष्पादित करने के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी को भी निर्देश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता इसके बाद इस न्यायालय के समक्ष आया एवं निवेदन किया कि 1914 के अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में आपत्ति दर्ज करने का कोई अवसर दिए बिना और नोटिस की सेवा के अभाव में याचिकाकर्ता के खिलाफ जबरदस्ती कदम उठाए गए हैं, जो सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (अब झारखण्ड) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रमाणपत्र मामले में तय सुनवाई की अगली तारीख 28 फरवरी, 2017 है।

उत्तरदाता राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मामला पिछले सप्ताह ही दायर किया गया है और सुनवाई के लिए पहली बार लिया गया है। इसलिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

यहाँ ऊपर दिए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता को 28 फरवरी, 2017 को या उससे पहले जिला प्रमाणपत्र अधिकारी, बोकारो, प्रतिवादी सं0 2 के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करने और 1914 के अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में तथ्यों और कानून के ऐसे सभी आधारों को लेते हुए, यदि कोई हो, अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को आपत्ति दर्ज करने के लिए किसी भी अवसर के बिना नोटिस जारी करने के तुरंत बाद, सार्वजनिक मांग की पुष्टि की गई है।

याचिकाकर्ता की उपस्थिति होने पर और उसी समय अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, दाखिल करने पर, प्रतिवादी सं0 2 संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार 1914 के अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में उसको निर्धारित करेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह के निर्धारण के आधार पर प्रमाणपत्र अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि, यदि कोई हो, की वसूली के लिए आगे बढ़ेगा। उत्तरदातागण दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाए। उनकी उपस्थिति के बाद, जैसा यहाँ ऊपर निर्देश दिया गया है, याचिकाकर्ता कार्यवाही में उपस्थित रहना जारी रखेगा यदि आवश्यकता हो, ऐसा नहीं करने पर, प्रतिवादी सं0 2 प्रमाणपत्र अधिकारी के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कदम उठाने के लिए छूट रहेगा।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)